

२५-११-२१ पत्रावली पेश हुई। आधिकारिता वादी एवं वादी स्वयं
 उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं. १ से ३ के आधिकारिता
 उपस्थित। बार-बार रुक-रुककर धावाज
 दिलायी गयी। चूंकि समय शाम के ५ बज चुके
 है, इसके बावजूद भी वादी स्वयं एवं उनके
 आधिकारिता उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का वाद
 अदम्य हाजरी/अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता
 है। पत्रावली फौजदारी सुमार होकर नोबल से कम हो।

दिनांक..... कांठी

उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)